

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1738 / 12-1 , गोपेश्वर,

दिनांक अक्टूबर 28

2016 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी ।

विषय:- तेफना कण्डारा मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग, का पत्रांक 3050/10 एल0ए0 दिनांक 04.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण किया गया है। जो निम्न प्रकार है-

लगाई गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
Though FRA certificate has been provided for the whole 1.307 ha area proposed for diversion, the FRA certificate is found undated and date of meeting of Gram Sabha kandara is also not mentioned in the proceedings attached with the FRA certificate. Further, in the village wise breakup given at para B 2.3 Part I online names of 5 villages are mentioned but the proceedings of meetings of Gram Sabhas of these 5 Villages are not provided with the FRA certificate and name of the village Kandara does not appear in the village wise breakup but proceedings of the meeting of Gram Sabha of this villages are provided with FRA certificate.	उक्त सभी ग्राम एक ही ग्रासभा कण्डारा के अन्तर्गत आते हैं। Village level Committee FRA certificate में दिनांक अंकित करते हुए सभी ग्रामों की प्रविष्टि कर दी गयी है तथा Revised FRA certificate को पार्ट-1 के Additional information Serial नं0 01 में अपलोड कर दिया गया है तथा ग्राम कण्डारा की कोई भी भूमि मार्ग निर्माण के अन्तर्गत नहीं ली गयी है। जिस कारण Village wise breakup में ग्राम कण्डारा को नहीं दर्शाया गया है। संलग्नक-1 पेज नं0 (2 से 7)

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- प्रस्तावक विभाग के पत्र की छायाप्रति एवं संलग्न प्रपत्र।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 3050/10/एन-ए

दिनांक :- 4/10/2016

सेवा में ,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- तेषना कण्डारा मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Though FRA certificate has been provided for the whole 1.307 ha area proposed for diversion, the FRA certificate is found undated and date of meeting of Gram Sabha Kandara is also not mentioned in the proceedings attached with the FRA certificate. Further, in the village wise breakup given at para B 2.3 Part I online names of 5 villages are mentioned but the proceedings of meetings of Gram Sabhas of these 5 villages are not provided with the FRA certificate and name of the village Kandara does not appear in the village wise breakup but proceedings of the meeting of Gram Sabha of this village are provided with FRA certificate	उक्त सभी ग्राम एक ही ग्रामसभा कण्डारा के अन्तर्गत आते हैं। Village level Committee FRA certificate में दिनांक अंकित करते हुए सभी ग्रामों की प्रविष्टि कर दी गयी है तथा Revised FRA certificate को पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है तथा ग्राम कण्डारा की कोई भी भूमि मार्ग निर्माण के अन्तर्गत नहीं ली गयी है। जिस कारण Village wise breakup में ग्राम कण्डारा को नहीं दर्शाया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्त।

4/10/2016
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

1.6

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

Annexure-I

No. /

Dated: 14-01-2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.307** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Department Uttarakhand for **Construction of Tefna kandara Sonla kandara via chatingyala-koti-nauli-hindoli motor road in district chamoli** falls within jurisdiction of Kandara Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **1.307** Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above


Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

(16)


Annexure-I

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 14.05.2011 At 14.05.2011 at Chamoli in which the application claiming rights in village Thapli of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.907 Hectares for the **Construction of Tefna kandara, Sonla kandara via chatingyala-koti-nauli-hindoli motor road** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


Sanjay Kumar
District Magistrate -cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

116

प्रपत्र-23.2
परियोजना का नाम :- मा. मुख्यांश जी की घोषणा के अंतर्गत जंगल
- टमाली के विकासकर्म (कृषि प्रभाग) में राष्ट्रीय राजसिंह मार्ग
तेफना कपड़ा मोटर मार्ग के किमी. 3.00 से होते हुए सोनला
कपड़ा मोटर मार्ग के किमी. 16.00 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण
कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्डस्तरीय समिति

उपखण्ड कृषि प्रभाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत त्रेफना कपड़ा के किमी. 3 से सोनला कपड़ा के
किमी. 16 तक मोटर मार्ग (अन्तः) हे० आरक्षित वन भूमि 0.870 हे० सिविल एवं सोयम वनभूमि
0.43 हे० वनपंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.30 हे० वनभूमि का लो. वि. वि.
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्डस्तरीय समिति, (तहसील कृषि प्रभाग) की दिनांक 13-01-15 को सम्पन्न
बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की
बैठक श्री. कि. वि. वि. उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्डस्तरीय वनअधिकार
समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति
निम्नानुसार है।

- 1- श्री. कि. वि. वि. उप जिलाधिकारी अध्यक्ष
 - 2- श्री. शिवानन्द सुता उपप्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
 - 3- श्री. मोहन सिंह अण्णरी सहायक समाजकल्याण अधिकारी सदस्य
 - 4- श्री. मा. दे. पा. शा. वि. ए. न. पी. वनाधिकार समिति सदस्य
- श्री. अ. पी. सुशोभा रावत वनाधिकार समिति सदस्य
- श्री. मालकत पुणेकर वनाधिकार समिति सदस्य

तेफन। मन्दा मो अषी के मिमी उषे प्रीपला उषु नि मिमी 11 तन को अका परियोजना हेतु 1307

हे 0 वनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई नामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पौर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करत हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वनअधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड प्रमुख परिक्षेत्र के अन्तर्गत तेफन। मन्दा मो अषी के मिमी उषे प्रीपला + 512 परियोजना के निर्माण हेतु 1307 हे 0 वनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकारसमिति

तहसील- चम्पौर
जनपद- चम्पौर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चम्पौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकारसमिति
तहसील- चम्पौर
जनपद- चम्पौर

प्रपत्र-23.1
परियोजना का नाम :- मामगी मुख्यमूली जमीन घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमौली के विगत संख्या कर्णप्रयाग में डाईय गंगौर लिट. मार्ग, केफरा ३५३५ मोटा भागी में मिमी डूने चट्टियाला, कोटी, नौली, हिणोली होते हुए सैनला नखा मोटा भागी के जमी 16 तर मोटा भागी ग नव निर्माण वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम.....कण्डारा (चट्टियाला, कोटी, नौली, हिणोली, बांतोली)
तहसील.....कर्णप्रयाग जिला.....चमौली सुनाली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....चमौली अन्तर्गत कण्डारा के जमी 30 ले सैनला नखा मोटा भागी के जमी 16 तर मोटा भागी में परियोजना के निर्माण हेतु शुन्य हे० आरक्षित वनभूमि, ०:४२० हे० सिविल सोयमभूमि, ०:४३२ हे० वनपंचायत भूमि अर्थात कुल १:३०२ हे० वनभूमि का लो. नि. वि. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कण्डारा द्वारा दिनांक १-१-२०१९ को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसका अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कण्डारा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / -
ग्रामसचिव

एम. एम. जगवाल
ग्राम पंचायत अ. अ.



नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांच कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 8-1-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायतकण्डारा (चिदिंगपला, कोदी, नौमी, हिण्डोली, बांतोली)
सुनली

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री बलवीर सिंह रावत	Balwinder
2-	श्री जयसिंह रावत	Jay Singh
3-	श्री चन्द्रसिंह रावत	Chand Singh
4-	श्री मनोज सिंह रावत	Manoj Singh
5-	श्री मोहन सिंह रावत	Mohan Singh
6-	श्री पुन सिंह रावत	Pun Singh
7-	श्री उमेश सिंह रावत	Umesh Singh
8-	श्री गिरिश चन्द्र पन्त	Girish Chandra Pant
9-	श्री पेम पन्त	Pem Pant
10-	श्री जगदीश प्रसाद पन्त	Jagdish Prasad Pant
11-	श्री धनश्याम पन्त	Dhanashyam Pant
12-	श्री ललीता प्रसाद पन्त	Lalita Prasad Pant
13-	श्री कैलाश चन्द्र	Kailash Chandra
14-	श्री मनोज पन्त	Manoj Pant
15-	हयात सिंह	Hayat Singh
16-	मंजू देवी	Manju Devi
17-	कुंवर सिंह रावत	Kunwar Singh
18-	रघुनाथ सिंह	Raghunath Singh

ह0/-
ग्रामप्रधान